न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी :- सुप्रिया, आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 306/2024

1. भगवानाराम पुत्र हनुमान
2. रणजीत सिंह पुत्र हनुमान
3. सुरेश कुमार पुत्र हनुमान

समस्त जाति जाट निवासीगण बजावा तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– वादीगण

बनाम

1. खेता पुत्र हरदेवा जाति माली
2. श्रवणी पत्नी गोरू जाति माली
3. राकेश पुत्र गोरू जाति माली
4. शीशराम पुत्र गोरू जाति माली
5. चिरंजीलाल पुत्र दुर्गाराम जाति माली
6. झाबरमल पुत्र ईश्वर जाति माली
7. पतासी देवी पत्नी दुर्गाराम जाति माली
8. प्रभातीलाल पुत्र दुर्गाराम जाति माली
9. परसादा पुत्र मनभर जाति मेघवाल
10. चावली पुत्री मनभर जाति मेघवाल
11. बुद्धराम पुत्र हरदेवाराम जाति माली
12. बनवारी लाल पुत्र ईश्वर जाति माली
13. सावित्री पत्नी ताराचन्द जाति जाट
14. ग्यारसी देवी पत्नी भागु जाति माली
15. उम्मेद पुत्र भागु जाति माली
16. सुरेन्द्र पुत्र भागु जाति माली
17. श्यामसुन्दर पुत्र भागु जाति माली
18. ओमप्रकाश पुत्र भागु जाति माली
19. श्रीकृष्ण पुत्र भागु जाति माली
20. गोपीचन्द पुत्र भागु जाति माली
21. विनोद पुत्र भागु जाति माली
22. घनश्याम पुत्र भागु जाति माली
23. हरिराम पुत्र भागु जाति माली
24. मनफुल पुत्र भागु जाति माली
25. मंगलचन्द पुत्र भागु जाति माली
26. मोहनलाल पुत्र ईश्वर जाति माली
27. सीताराम पुत्र ईश्वर जाति माली
28. सुन्दरी पत्नी बनवारीलाल जाति माली

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 समस्त निवासीगण बजावा तहसील उदयपुरवाटी।
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बजावा जरिये प्रबंधक।
30. तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 01.06.2026

संक्षेप में वादीगण ने इस आशय से वादपत्र पेश किया है कि ग्राम बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में खाता संख्या नया 60 के भूमि खसरा नम्बर नया 856, 858 व 861 रकबा क्रमशः 0.68 है0, 1.24 है0 व 0.41 है0 कुल किता 3 खसरा नम्बर कुल रकबा 2.33 है0 तथा खाता संख्या नया 426 के भूमि खसरा नम्बर नया 835, 849, 850, 851, 854 व 855 रकबा क्रमशः 0.73 है0, 0.11 है0, 0.04 है0, 0.59 है0, 1.19 है0 व 0.78 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बर कुल रकबा 3.44 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि को वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें सहखातेदार गोरू, नानची, चावली, भागु का देहान्त हो चुका है, जिनके वैध वारिसान को प्रतिवादी की रूप में संयोजित किया जा चुका है, उपरोक्त भूमि में वादी भगवाना का 11/96 भाग है तथा वादी संख्या 2 का 5/96 भाग है तथा वादी संख्या 3 का 5/96 भाग है, अवशेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 की सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है, काश्त की सहुलियत के लिए मौखिक विभाजन है, जिसके अनुसार वादीगण भूमि खसरा 861 का पश्चिमी 1/2 भाग काश्त करते हैं, आवासीय भूमि व आवागमन के रास्ते है लेकिन विधिवत् विभाजन के अभाव में सीमाओं पर अक्सर विवाद होता रहता है। विवादित भूमि का जब तक विधिवत् विभाजन नहीं हो जाता है, तब तक भाग विशेष पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 को ब्लात् कब्जा करने व निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 राजनैतिक पंहुच वाले व्यक्ति होने के कारण उन्होंने बिना वादीगण की स्वीकृति व सहमति के वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को हड़प करने के लिए प्रस्तुत भूमि की सीमाओं पर विवाद होता रहता है, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 को विभाजन बाबत् दिनांक 25.06.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 को वास्तविक स्थिति पुछनी चाही तो उन्होंने वादीगण को धमकी दी कि वे शामलाती भूमि पर बिना वादीगण की सहमति के तथा बिना विधिवत् विभाजन के भाग विशेष पर अवैध निर्माण करेंगे तथा विवादित भूमि को अकृषि योगय बनाकर वैस्ट और डैमेज करेंगे, इस हेतु उन्होंने सम्पुर्ण औपचारिकतायें पुर्ण कर ली है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 द्वारा धमकी देने पर वादीगण ने दिनांक 26.06.2020 को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 28 से वादीगण ने दिनांक 28.06.2020 को पुनः सम्पर्क किया तथा वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करवाकर विभाजन हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने दिनांक 26.06.2020 को धमकी दी है कि वे विधिवत् विभाजन नहीं करेंगे तथा वादीगण को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने व मौके पर मारमार करके शांति भंग करके अपने निम्न स्तर की कार्यवाही में सफल होंगे, चूंकि वादीगण शांति प्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए कानून की शरण में आकर यह वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। अन्त में वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में खाता संख्या नया 60 के भूमि खसरा नम्बर नया 856, 858 व 861 रकबा क्रमशः 0.68 है0, 1.24 है0 व 0.41 है0 कुल किता 3 खसरा नम्बर कुल रकबा 2.

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

33 है0 तथा खाता संख्या नया 426 के भूमि खसरा नम्बर नया 835, 849, 850, 851, 854 व 855 रकबा क्रमशः 0.73 है0, 0.11 है0, 0.04 है0, 0.59 है0, 1.19 है0 व 0.78 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बर कुल रकबा 3.44 है0 भूमि में से भूमि खसरा नम्बर 858 सम्पुर्ण तथा भूमि खसरा नम्बर 861 का पश्चिमी 1/2 भाग वादीगण के हिस्से में रखा जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम फरमाया जावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 26.08.2022 को वाद वादीगण प्राथमिक तौर पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3470 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। वाद वादीगण बहस श्रवण की गई। बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में खाता संख्या नया 60 के भूमि खसरा नम्बर नया 856, 858 व 861 रकबा क्रमशः 0.68 है0, 1.24 है0 व 0.41 है0 कुल किता 3 खसरा नम्बर कुल रकबा 2.33 है0 तथा खाता संख्या नया 426 के भूमि खसरा नम्बर नया 835, 849, 850, 851, 854 व 855 रकबा क्रमशः 0.73 है0, 0.11 है0, 0.04 है0, 0.59 है0, 1.19 है0 व 0.78 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बर कुल रकबा 3.44 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3470 दिनांक 22.09.2023 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.04.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.टे.)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान भगवाना राम वगैरह बनाम खेता वगैरह

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 306/2024 निर्णय दिनांक : 01.04.26

वकील वादीगण श्री अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 01.04.26 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम बजावा तहसील गुढागौड़जी की सरहद में खाता संख्या नया 60 के भूमि खसरा नम्बर नया 856, 858 व 861 रकबा क्रमशः 0.68 है0, 1.24 है0 व 0.41 है0 कुल किता 3 खसरा नम्बर कुल रकबा 2.33 है0 तथा खाता संख्या नया 426 के भूमि खसरा नम्बर नया 835, 849, 850, 851, 854 व 855 रकबा क्रमशः 0.73 है0, 0.11 है0, 0.04 है0, 0.59 है0, 1.19 है0 व 0.78 है0 कुल किता 6 खसरा नम्बर कुल रकबा 3.44 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3470 दिनांक 22.09.2023 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा वादी पक्ष वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनू (राज.)